प्रेस प्रकाशनी

22-03-2022

खान मंत्रालय से संबंधित "देश में एल्यूमीनियम और तांबा उद्योगों का विकास" विषय पर स्थायी समिति का इकतीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के सभापति तथा संसद सदस्य श्री राकेश सिंह ने 22 मार्च, 2022 को लोक सभा में खान मंत्रालय से संबंधित "देश में एल्यूमीनियम और तांबा उद्योगों का विकास" विषय पर समिति का इकतीससवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की कुछेक महत्वपूर्ण टिप्पणियां/सिफारिशें निम्नवत हैं:-

देश के विकास के लिए खनिज संसाधनों के इष्टतम उपयोग की सिफारिश की गई।	**खनिज संसाधनों का उपयोग** **समिति ने नोट किया कि भारत प्राकृतिक संसाधनों से, विशेष रूप से खनिजों से, संपन्न है, जो कई उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में काम आता है, जिससे तेजी से औद्योगिक, ढांचागत और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। खनिज कीमती प्राकृतिक संसाधन होने के कारण कई बुनियादी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। खनिजों की व्यापक उपलब्धता से भारत में खनन क्षेत्र के विकास की बुनियाद बनती है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। समिति ने यह भी नोट किया कि भारत में करीब-करीब 95 खनिजों का उत्पादन होता है, जिनमें 4 ईंधन, 10 धात्विक, 23 गैर-धात्विक, 3 आण्विक और 55 लघु खनिज (भवन और अन्य खनिजों सहित) शामिल हैं।**

	समिति ने आगे यह भी नोट किया कि सरकार ने राष्ट्रीय नीति लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना योगदान सुनिश्चित करने के लिए खनिज क्षेत्र को खोलने के लिए महत्वपूर्ण सुधार शुरू किए हैं जैसे: आरपी / पीएल धारकों के लिए पहले इनकार का अधिकार शुरू करना; अन्वेषण शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना; खनन पट्टों का हस्तांतरण और समर्पित खनिज का निर्माण; निजी क्षेत्र के खनन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए गलियारे; निजी क्षेत्र की मदद के लिए करों, लेवी और रॉयल्टी को विश्व बेंचमार्क के साथ सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास करने का प्रस्ताव; आदि-आदि। प्रमुख सुधारों में खान और खनिज (विकास और विनियम) (संशोधन) अधिनियम, 2021 का अधिनियमन शामिल था, जिसने राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के साथ सार्वजनिक नीलामी शुरू करके खनिज रियायतों के आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया। राष्ट्रीय नीति लक्ष्यों को प्राप्त करने में खनिज क्षेत्र के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति सिफारिश करती है कि देश में तेजी से औद्योगिक व सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नीलामी की प्रक्रिया को गति देने और भारत के खनिज संसाधनों के इष्टतम उपयोग को हासिल करने के लिए पूर्व-अंतःस्थापित मंजूरी के साथ खनिज रियायतों की नीलामी में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। सिफारिश क्रम संख्या 1
<u>प्रति व्यक्ति 11 किलो ग्राम का वैश्विक औसत खपत हासिल करने के लिए एल्यूमीनियम की खपत में वृद्धि करने की योजना तैयार करने की सिफारिश की गई।</u>	खपत और मांग समिति ने पाया कि देश में एल्यूमीनियम की प्रति व्यक्ति खपत लगभग 2.5 किलोग्राम (वित्तीय वर्ष 2020-21) से 2.9 किलोग्राम (वित्तीय वर्ष 2018-19) तक कम है, जबकि वैश्विक औसत 11 किलोग्राम है। देश में एल्यूमीनियम की खपत में वृद्धि की काफी गुंजाइश है और जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था परिपक्व होती है, एल्यूमीनियम की खपत में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। यह भी बताया गया कि आने वाले वर्षों में अनुमानित उच्च जीडीपी विकास के कारण अगले कुछ वर्षों में एल्यूमीनियम की मांग में वृद्धि काफी

	अधिक होने वाली है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया', 100% ग्रामीण विद्युतीकरण, सभी के लिए आवास, स्मार्ट सिटी, 100 लाख करोड़ की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, नवीकरणीय ऊर्जा और फेम (हाइब्रिड और ईवी के निर्माण को तेजी से अपनाना), इलेक्ट्रिक वाहनों की योजनाएं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वृद्धि, आदि जैसी कई पहलें की गई है जो समिति की राय में निश्चित रूप से देश में धातु की खपत को बढ़ावा देगी। राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 जैसी नई पहलों और एमएमडीआर (संशोधन) अधिनियम, 2021 में संशोधन की सराहना करते हुए, समिति को उम्मीद है की भारत में तेजी से प्रस्तावित शहरीकरण और विनिर्माण क्षेत्र में विकास को देखते हुए खान मंत्रालय और एल्यूमीनियम कंपनियां एल्यूमीनियम की अपेक्षित मांग को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हालांकि, समिति ने विचार किया कि वांछित विकास क्षमता हासिल करने और देश में एल्यूमीनियम की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने के लिए, सरकार को प्रति व्यक्ति वैश्विक औसत खपत 11 किलो ग्राम हासिल करने के लिए खपत लक्ष्यों में वर्षवार वृद्धि सुनिश्चित करने की एक योजना तैयार करनी चाहिए और समिति को इससे अवगत कराया जाना चाहिए। सिफारिश क्रम संख्या 5
<u>एल्यूमीनियम के प्रति व्यक्ति उपयोग का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नए एल्यूमीनियम मूल्य वर्धित उत्पादों के उपभोग को चिह्नित करने की आवश्यकता की सिफारिश की गई।</u>	<u>भावी विस्तार और अपेक्षाएँ</u> समिति ने नोट किया कि देश में एल्यूमीनियम के लिए भावी विकास की संभावनाएं एयरोस्पेस क्षेत्र, पेय के डिब्बे, मिश्र धातु के पहिये, ऑटोमोबाइल बॉडी, रेलवे कोच आदि जैसे उत्पादों में देखी जाती हैं। मंत्रालय के अनुसार, आने वाले समय में प्रमुख मांग क्षेत्रों में से एक हाई-एंड एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं में होगा, जिससे काफी संभावनाएं बढ़ गई हैं और समिति ने यह भी पाया कि आर्थिक उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज से निकट भविष्य में एल्यूमीनियम की मांग में बढ़ोतरी होगी। एल्यूमीनियम की खपत के लिए अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र रेलवे, परिवहन, बिजली, रक्षा, उपभोक्ता सामान/पैकेजिंग, एयरोस्पेस और नागरिक उड्डयन आदि हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एल्यूमीनियम एक

	पुनर्चक्रण योग्य और पर्यावरण के अनुकूल धातु है, जिसके कई विविध क्षेत्रों यथा बिजली, परिवहन भवन, निर्माण, पैकेजिंग और कई अन्य क्षेत्रों में ढेर सारे अनुप्रयोग हैं, समिति ने आशा की कि इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि देश में एल्यूमीनियम का निर्माण करने वाली कंपनियां बड़े पैमाने पर खपत के नए एल्यूमीनियम मूल्य वर्धित उत्पादों की पहचान करे और देश में प्रति व्यक्ति एल्यूमीनियम उपयोग के उच्च लक्ष्य को हासिल करे। समिति ने सिफारिश की कि खान मंत्रालय, रेल, रक्षा, परिवहन, बिजली और नागरिक उड्डयन मंत्रालयों आदि के साथ समन्वय और सहयोग से उन क्षेत्रों की पहचान और अन्वेषण करे जहां एल्यूमीनियम उसकी गुणवत्ता, मजबूती और लागत से समझौता किए बिना अन्य धातुओं की जगह ले सकता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एल्यूमीनियम उद्योग को प्रोत्साहन देने के निमित्त मंत्रालय द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों के महत्व को स्वीकार करते हुए, समिति ने इच्छा व्यक्त की कि खान मंत्रालय/एल्यूमीनियम कंपनियां सभी हितधारकों/उपयोगकर्ता उद्योगों के साथ उनकी परियोजनाओं के लिए एल्यूमीनियम की मांग सृजित करने के निमित्त परामर्श/विचार-विमर्श करें। साथ ही, समिति ने इस विचार का समर्थन किया कि प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के तहत देश की खनिज संपदा का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए और समिति ने इच्छा व्यक्त की कि तैयार एल्यूमीनियम वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि का भी पता लगाया जाए और इसे बढ़ावा दिया जाए। समिति इस संबंध में मंत्रालय द्वारा की गई पहलों और उसमें हुई प्रगति से अवगत होना चाहेगी। सिफारिश क्रम संख्या *7*
<u>एल्यूमीनियम क्षेत्र को संरक्षित करने और देश को 'आत्मनिर्भर' बनाने की आवश्यकता की इच्छा व्यक्त की गई है।</u>	एल्यूमिनियम का आयात और स्क्रैप नीति समिति ने पाया कि वर्ष 2020-21 में आयात निरंतर अधिक हुआ है जो कुल घरेलू खपत का लगभग 60% है जिसमें ज्यादातर आयात स्क्रैप का है, जो कुल आयात का लगभग 66% है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान स्क्रैप सहित कुल एल्यूमीनियम आयात पिछले वर्ष के

	2.15 मिलियन टन की तुलना में 2.06 मिलियन टन था। समिति ने नोट किया कि मंत्रालय ने 31.3.2021 को एक नेशनल नॉन-फेरस मेटल स्क्रैप रीसाइक्लिंग फ्रेमवर्क अधिसूचित किया है ताकि स्क्रैप आयात विशेष रूप से गैर-गुणवत्ता और निम्न ग्रेड/मानक स्क्रैप में कटौती कर स्वदेशी स्क्रैप रीसाइक्लिंग उद्योग को एक औपचारिक और संगठित क्षेत्र बनाया जा सके। समिति ने लागत में कटौती और देश में उत्पादित होने वाले एल्यूमीनियम की मात्रा में सुधार के लिए ऐसे अभिनव और स्वदेशी विकासोन्मुख कदमों की सराहना की। समिति ने आगे यह भी नोट किया कि एल्यूमीनियम का विकास और संवर्धन केवल तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब एल्यूमीनियम उत्पादकों को अनुकूल वातावरण प्रदान कर और इस क्षेत्र को आयातित एल्यूमीनियम की बाढ़ से बचाकर अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस संबंध में, समिति ने बताया कि खान मंत्रालय को घरेलू एल्यूमीनियम उद्योग की मांग का समर्थन करना चाहिए ताकि आयात को हतोत्साहित करने के लिए आयातित एल्यूमीनियम पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा सके जो देश में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करता है। जैसा कि सीमा शुल्क को बढ़ाने/घटाने का अधिकार वाणिज्य मंत्रालय के पास है, इसलिए समिति की सुविचारित राय है कि इस क्षेत्र की रक्षा करने और एल्यूमीनियम उत्पादन में देश को `आत्मनिर्भर` बनाने के लिए आयातित एल्यूमीनियम पर सीमा शुल्क बढ़ाने का मामला सरकार में उच्चतम स्तर पर उठाया जाना चाहिए । समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि खान मंत्रालय को वाणिज्य मंत्रालय के साथ एक व्यवहार्य तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है ताकि घरेलू उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के लिए बातचीत की जा सके। सिफारिश क्रम संख्या 8
<u>तांबे के भंडार का दोहन किए जाने की आवश्यकता है।</u>	समिति ने आगे नोट किया कि "मेक इन इंडिया" और "स्मार्ट सिटी" कार्यक्रम, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत, 2022 तक अक्षय ऊर्जा के लिए 100 गीगावाट का लक्ष्य, आदि पर सरकार के बढ़ते

	जोर के कारण भारत में तांबे की मांग बढ़ने की उम्मीद है। समिति ने संतोष के साथ नोट किया है कि खान मंत्रालय ने एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2021 जैसे कई उपाय किए हैं जो अन्वेषण में निजी क्षेत्र की गति और भागीदारी को बढ़ाने में मदद करेगा और सरकारी और निजी एजेंसी के लिए समान अवसर देकर खनिजों की खोज में उन्नत तकनीक लाएगा। समिति को यह भी सूचित किया गया कि एनएमईटी को देश में खनिज उत्पादन बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी इकाइयों को शामिल करके अन्वेषण में तेजी लाने के लिए स्वायत्त निकाय बनाया जाना है। इसके अलावा, निर्बाध पूर्वेक्षण लाइसेंस सह-खनन पट्टे के तहत अन्वेषण गतिविधि को खनन के साथ समेकित रूप से एकीकृत किया गया है; समाप्त हो चुके खनन पट्टों की वैधानिक मंजूरी की वैधता खनन पट्टे की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी जारी रहती है और यह खान के अगले पट्टेदार को हस्तांतरित कर दी जाती है। यह पट्टेदार के बदलने के बावजूद खनन कार्यों और उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करेगा। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि जैसे-जैसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, भवन निर्माण, औद्योगिक मशीनरी और उपकरण, परिवहन उपकरण और उपभोक्ता और सामान्य उत्पादों की वैश्विक मांग बढ़ेगी, तांबे की मांग भी बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक वाहन के प्रचलित होने के कारण देश में तांबे की मांग भी बढ़ेगी। देश में तांबे की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए, समिति महसूस करती है कि तांबे के अधिक भंडार का दोहन करने की आवश्यकता है। इसलिए, समिति ने इच्छा व्यक्त की कि खान मंत्रालय तदनुसार पहल करे और अपनी परियोजनाओं के लिए तांबे की अपेक्षित मांग का उत्पादन करने और मांग को पूरा करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में सभी प्रयोक्ता उद्योगों के साथ परामर्श/विचार-विमर्श करे। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि खान मंत्रालय तद्नुसार योजना बनाकर पहल करे और समिति को इस दिशा में उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाए। सिफारिश क्रम संख्या 11

'मेक इन इंडिया' अभियान के अंतर्गत घरेलू तांबा उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन दिए जाने की इच्छा व्यक्त की गई है।	तांबे की खपत और मांग समिति ने नोट किया कि 2020 में देश में परिष्कृत तांबे की कुल खपत लगभग 6.60 लाख टन थी। समिति को सूचित किया गया कि किफायती आवास योजनाओं, ग्रामीण विद्युतीकरण और अधिक शहरीकरण के परिणामस्वरूप अवसंरचना से जुड़े क्षेत्रों में मांग के कारण विद्युत खंड में तांबे की मांग बढ़ रही है। जहां तक देश में तांबे की खपत का संबंध है, समिति ने बताया कि आने वाले वर्षों में विश्व के प्रति व्यक्ति 3.2 किलोग्राम के खपत स्तर की तुलना में देश में तांबे की प्रति व्यक्ति खपत 0.6 किलोग्राम के मौजूदा स्तर से बढ़कर 1 किलोग्राम होने की उम्मीद है। यह देखते हुए कि भारत में लक्षित प्रति व्यक्ति खपत के आने वाले वर्षों में 0.6 किलोग्राम के मौजूदा स्तर से बढ़कर 1 किलोग्राम होने की उम्मीद है, समिति ने बताया कि खान मंत्रालय घरेलू तांबा उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाए ताकि 'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत अधिक से अधिक क्षमता वृद्धि परियोजनाओं को शुरू किया जा सके। सिफारिश क्रम संख्या 12